Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JAN-FEB, 2021, VOL- 8/63

माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण अधिगम के विशेष संदर्भ में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा में नवाचार

एकता जैन[1] एवं **आचार्य गोपाल कृष्ण ठाकुर**[2]

[1]पी-एच. डी. शोधार्थी, Email - *ektajainphd@gmail.com*

[2]शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, Email - *Gkthakur11@Gmail.Com*

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा - 442001, महाराष्ट्र

Abstract

प्रस्तुत लेख माध्यमिक स्तर के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की इतिहास विषय में निहित नवाचारी शिक्षण विधियों पर आधारित है। शोध प्रविधि के रूप में गुणात्मक सर्वेक्षण शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया। इस शोध कार्य को सकारात्मक्ता से पूर्ण करने हेतु प्रतिदर्श इकाई के रूप में वर्ष 2019-2020 में दिल्ली के कुल 4 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया, जिनमें दृष्टिबाधित बालकों हेतु सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में से -दृष्टिबाधित सरकारी बालक माध्यमिक विद्यालय सेवा कुटीर, ब्लाईंड रिलीफ़ एसोसिएशन (बी.आर.ए.) लोधी रोड, अंध महाविद्यालय पंचकुइया करोल बाग एवं दृष्टिबाधित राष्ट्रीय संघ आर. के. पुरम के कक्षा 6 से 8 के इतिहास विषय में अध्ययनरत कुल 64 विद्यार्थियों का चयन किया गया। विद्यार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श प्रविधि के द्वारा किया गया। अत: इस शोध कार्य में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की इतिहास विषय के सभी उप विषयों संबंधी नवाचारी माध्यमों व परिवर्द्धित सामग्रियों को ज्ञात करने हेतु कक्षावलोकन किया गया। कक्षावलोकन हेतु 10 शैक्षिक कार्य दिवसों में प्रतिदिन इतिहास विषय संबंधी सभी कक्षाओं में प्रयुक्त शिक्षण-विधियों का अवलोकन करने के पश्चात सुविधानुसार उनसे साक्षात्कार लिए गए। शोध उपकरण के रूप में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हुए कक्षा में प्रयुक्त नवाचारी शिक्षण विधियों का स्तर ज्ञात किया गया। प्रदत्त विश्लेषण के लिए प्राप्त प्रदत्तों की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि माध्यमिक स्तर के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की इतिहास विषय संबंधी शिक्षण सहायक सामग्री के परिवर्द्धिकरण एवं उपयोग की उपलब्धता एवं स्पर्श मॉडल का निर्माण व प्रयोग न के बराबर हो रहा है तथा नवाचारी शैक्षिक संसाधनों के अभाव की वजह से शिक्षण स्तर सामान्य रूप से परंपरागत पद्धतियों पर आधारित हैं।

Keywords: **इतिहास, शिक्षण-अधिगम, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, शिक्षा में प्रयुक्त नवाचारी विधियाँ**

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

समाज के विभिन्न वर्गों के बीच के अंतर को भरने के लिए शिक्षा एक पुल का कार्य करती है I शिक्षा के उत्तम प्रावधान एवं उत्तम शैक्षिक व्यवहार के परिणामस्वरुप शैक्षिक दृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है I 1944 में '*केन्द्रिय एडवाईजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन*' (CABE) ने '*सर्जेंट रिपोर्ट*' प्रकाशित की जिसके अनुसार दिव्यांगों के लिए शैक्षिक प्रावधान हेतु राष्ट्रीय शिक्षा को शैक्षिक प्रणाली में अनिवार्य बनाने की बात की I इस रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चो को उसकी प्रकृति एवं आवश्यकताओं को देखते हुए केवल दिव्यांग स्कूलों में भेजना आवश्यक हो गया है I '*कोठारी आयोग*' 1964-1966 के अनुसार *"शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा एक अविभाज्य हिस्सा होनी चाहिए I कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार एकीकृत कार्यक्रमों में प्रायोगिकता लाई जाए जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को सम्मिलित किया जा सकें (एलूर, 2002)"*/ 1970 के दशक की नीति ने अलगाववाद को प्रोत्साहन दिया I अधिकांश शिक्षकों का मानना था कि *"बच्चे शारीरिक अक्षमताओं या बौद्धिक अक्षमताओं से भिन्न- भिन्न होने के कारण सामान्य विद्यालयों की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते*" (अडवानी, 2002) I सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वयन की दृष्टि से दिव्यांग शिक्षा से जुड़े बच्चे विभिन्न फोकस समूहों में शामिल हैं I दिव्यांग समूहों विशेषत: अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति एवं शहरी सुविधाओं से वंचित विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों से अलग करने का प्रावधान एस. ई. एन. के तहत किया गया जिसमें उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं I शैक्षिक प्रक्रिया के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों को जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक हैं कि सामान्य विद्यार्थी किसे कहते हैं ? सामान्य विद्यार्थी वे होते है जिनका शारीरिक स्वास्थ्य एवं बनावट

इस प्रकार की होती है कि उन्हें सामान्य कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है जिनकी बुद्धि-लब्धि औसत 90-110 के बीच होती है ऐसे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के समान होती है।
क्रुक शैंक के अनुसार *"एक दिव्यांग विद्यार्थी वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली वृद्धि व विकास की दृष्टि से इतने अधिक भिन्न होते है कि वे नियमित शिक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो सकते तथा जिन्हें विद्यालय में विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है"।*

दृष्टिबाधित विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। कुछ दृष्टिबाधित विद्यार्थी मोटे छापे की पुस्तकें अथवा पठन-सामग्री पढ़ने में असमर्थ होते हैं ऐसे विद्यार्थियों के नेत्रों में प्रतिबिम्ब की तीव्रता बहुत कम होती है। माध्यमिक रूप से ऐसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 होती है, ऐसी परिस्थिति में वे काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यार्थी गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है ऐसे विद्यार्थी देखने की विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दृष्टिबाधित वर्ग की दृष्टि का '***स्नेलन चार्ट***' के माध्यम से मापन किया जा सकता हैं।

चार्ट क्र. 1: स्नेलन चार्ट

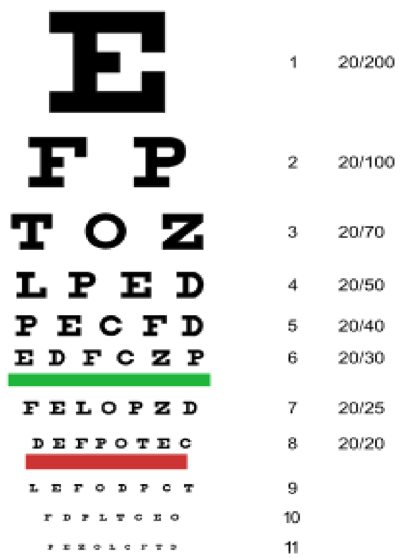

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका क्र. 1: दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का वर्गीकरण:

वर्ग स्तर	उत्तम आँख	क्षतिपूर्ण आँख	दिव्यांगता की प्रतिशत
स्तर –द	6/9 - 6/18	6/24 - 6/36	20 %
वर्ग-I	6/18 - 6/36	6/60 - 0	40 %
वर्ग-II	6/36 - 6/60 या दृष्टि का क्षोभ (100-20)	3/60 – 0	75 %
वर्ग-III	3/60 - 1/60	1 – 0	100 %
वर्ग-IV	1 – 0	दृष्टि क्षेत्र 100	100 %

सार्वभौमिक परिदृश्य में यदि देखा जाए तो शिक्षक का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के शिक्षकों को आँख की बनावट, सफाई, आँख की सामान्य बीमारियों तथा कठिनाइयों से परिचित होना चाहिए । उनके लिए दवाइयां, रोशनी, शारीरिक सामान तथा शैक्षिक सामान का भी प्रबंध करवाना चाहिए एवं पढ़ाई की उचित विधि से उन्हें परिचित करवाना चाहिए । उन्हें मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक कठिनाइयों के साथ-साथ संवेगात्मक कठिनाइयों की भी पहचान होनी चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों की वर्तमान तथा भविष्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। शिक्षकों द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विकट परिस्थिति में अपनी समस्या सुलझाने की शिक्षा भी अवश्य देनी चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्य शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों दोनों पर ही होना चाहिए। सामान्य शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण द्वारा यह ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाना चाहिए , जिससे वह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन की विधि से अवगत हों सकें।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु शिक्षण सहायक उपकरणों का प्रयोग इनके शिक्षण को सफल बनाता हैं । इससे आंशिक रूप से ही सही दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को बहुत लाभ प्राप्त होता है । अनेक प्रकार के गणना-यंत्रों, घड़ियों एवं श्रव्य-सामग्रियों का विकास हो रहा है । उत्तल दर्पण, चश्में अथवा दृष्टि-यंत्रों जैसे

विशिष्ट उपकरणों की सहायता से दृष्टिबाधित विद्यार्थी विद्यालय के परिवेश में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं । दिव्यांग विद्यार्थियों के मानवाधिकारों तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों को संरक्षित करने हेतु सरकार द्वारा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ एवं कानून बनाए गए हैं, जो दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा एवं उसके क्रियान्वयन को एक दिशा देने का कार्य करते हैं ।

9 दिसंबर 1975 को '*संयुक्त राष्ट्र संघ*' ने दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक घोषणापत्र जारी किया जिसकी मुख्य बातें निम्नवत हैं - दिव्यांग व्यक्ति भी दूसरे सामान्य व्यक्तियों के ही समान हैं, साथ ही वे सभी मूलभूत अधिकारों की पात्रता रखते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के साथ-साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को अपने परिवार के साथ रहने का और सभी प्रकार की सामाजिक, रचनात्मक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में सहभागिता लेने का अधिकार हैं व संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी अधिकारों को स्वीकृति दिलाने की पहल की । 1990 में जोमटिन (थाईलैंड) में, 'सभी के लिए शिक्षा' पर हुए विश्व सम्मलेन में 155 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों एवं 150 गैर सरकारी संगठनों (NGO's) ने भाग लिया जिसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सभी की शिक्षा के साथ जोड़ा गया । **1994** में *सलामां के* शहर (स्पेन) में 'विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता पर हुए विश्व सम्मलेन' का आयोजन यूनेस्को एवं स्पेन की सरकार ने मिलकर किया था जिसमें 92 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और समावेशी शिक्षा पर चर्चा की । इस चर्चा में एक योजना निर्धारित हुई जिसके अनुसार विद्यालयी स्तर पर सभी दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सम्मिलित करने की बात की गई जो शिक्षा क्षेत्र में समानता को प्रदर्शित करता हैं । 22 मई 2002 **एशिया पेसेफिक क्षेत्र** ने '*बिवाकों मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन*' को स्वीकार किया जिसका मुख्य उद्देश्य अवरोध रहित एवं अधिकार आधारित एक समावेशित समाज का निर्माण करना था जिसके प्रमुख कार्य

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

क्षेत्र, शिक्षा एवं प्रशिक्षण तय किए गए। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित रखने वाला दस्तावेज United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD, 2006) है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इस संधि पत्र को 13 दिसम्बर 2006 को स्वीकार किया था। यह अधिवेशन मुख्यतः दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को निर्दिष्ट करता हैं एवं उनके संवर्द्धन, संरक्षण एवं सुनिश्चितता के लिए राज्य के कर्तव्य भी निर्धारित करता हैं। यू.एन.सी.आर. पी.डी. (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD, 2006) के 50 अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेदों का विवरण इस प्रकार से हैं –

i. ***अनुच्छेद 6*** में दिव्यांग महिलाओं के विकास एवं अधिकारिता के लिए सरकार द्वारा उपर्युक्त कदम उठाने की बात की गई है।

ii. ***अनुच्छेद 7*** में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को उन्हें उपलब्ध कराने, स्वतंत्रता देने एवं बेहतर जीवन जीने हेतु कार्य करने के अवसर प्रदान करने की बात कही गई है।

iii. ***अनुच्छेद 9*** में दिव्यांगों को सशक्त करने हेतु अत्याधुनिक तकनीक से बने विशेष उपकरण उपलब्ध कराने की बात कहीं गई है।

iv. ***अनुच्छेद 24*** में सरकार ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बात कहीं है।

राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून

1. **संवैधानिक प्रावधान**

i. ***अनुच्छेद 14*** में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान है।

ii. ***अनुच्छेद 15*** में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

iii. ***अनुच्छेद 41*** में कार्य करने के अधिकार की बात की गई है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

iv. ***अनुच्छेद 45*** कहता हैं कि राज्य छः वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने एवं बाल्यावस्था कार्यकाल में देखभाल करने का प्रयास करेगा ।

v. ***अनुच्छेद 211*** के अंतर्गत भारतीय संविधान के 86 वें संविधान संशोधन में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने की बात की गई हैं ।

2. **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (आर. सी. आई. अधिनियम):** यह 22 जून 1993 को लागू हुआ जिसमें सन 2000 में संशोधन किया गया । इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी प्रशिक्षण, नीतियों व कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया ।

3. **दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995:** यह 7 फरवरी 1996 से लागू हुआ । इस अधिनियम में केवल सात प्रकार की दिव्यांगताओं को ही शामिल किया गया । पी. डब्ल्यू. डी. एक्ट 1995 में 14 अध्याय हैं जिसमें कुछ अध्यायों में वर्णित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं –

अध्याय 5: दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बात करता है एवं इसी अध्याय में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान भी शामिल है ।

अध्याय 6 : दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार की बात करता है ।

अध्याय 8: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने की भी बात करता है ।

4. **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999:** एन. टी. अधिनियम 1999 में चार दिव्यांगताओं स्वलीनता, प्रमस्तिष्क-पक्षघात, मानसिक दिव्यांगता एवं बहु-दिव्यांगता को शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर देने की बात की गई है । राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं –

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

i. संगठनों का पंजीकरण करना ।

ii. स्थानीय स्तर की समितियों का गठन करना ।

iii. अभिभावकों की नियुक्ति करना ।

iv. आवासीय सुविधाओं का समर्थन करना ।

v. जागरूकता एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना ।

नवाचार में प्राचीन प्रक्रियाओं को परिवर्तित करके नवीन प्रक्रियाओं के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की तकनीकियों, प्रविधियों तथा व्यूह रचनाओं के माध्यम से शिक्षा को गुणवत्तापरक एवं उपयोगी बनाकर उसे वर्तमान में हो रही गतिविधियों से जोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है । दृष्टिबाधित विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं । कुछ दृष्टिबाधित विद्यार्थी मोटे छापे की पुस्तकें अथवा पठन सामग्री पढ़ पाने में समर्थ होते हैं ऐसी परिस्थिति में वे कुछ काम कर सकते हैं (पार्शियल्ली ब्लाईंड) । इसके अतिरिक्त कुछ विद्यार्थी गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है । ऐसे विद्यार्थी देखने की विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते । विज्ञान एवं गणित की तरह इतिहास विषय तर्क एवं वास्तविकता को प्रस्तुत न करके वर्णन एवं व्याख्या पर केन्द्रित हैं, जिसमें अनेक उपविषयों के रूप में इतिहास शिक्षण को सम्मिलित किया गया हैं, जो समाज के सभी आधारों को अपने अंदर समाहित किए हुए है ।

शोध औचित्य

दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है । इसकी कोई निश्चितता नहीं है यह तो कभी भी किसी को भी अपनी चपेट में ले लेतीं है । पहले तो दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति को न तो समाज स्वीकार कर पाता था और न ही कुछ स्तर तक उसके अभिभावक । दिव्यांग वर्ग की शिक्षा की बात करें तो उनमें शिक्षा का अधिक प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है । आज भी भारत में दिव्यांगों की लगभग 55% आबादी साक्षर नहीं है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक ओर जहां माध्यमिक एवं उच्च स्तर

की शिक्षा को महत्ता देने के लिए अनेक नीतियाँ एवं कानून बनाए जा रहे थे वहीं दिव्यांगों की शिक्षा के लिए भी कुछ स्तर तक '*मुदालियर आयोग*' एवं '*कोठारी आयोग*' में चर्चा की गई थी, जिसकी गुणवत्ता के लिए बड़े-बड़े शिक्षाविद् चिंतित थे। दिव्यांगों की शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके जीवन को कुशल बनाने के लिए अनेक शैक्षिक नीतियाँ एवं प्रावधान उनकी सुविधा के अनुरूप क्रियान्वित किए जा रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी दिव्यांगों के लिए सर्वप्रथम संवैधानिक प्रावधान में अनेक अनुच्छेदों के माध्यम से अनेक अधिकार उपलब्ध कराने की बात की गई है। '*दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995*' में दिव्यांग शिक्षा एवं रोजगार को सुचारु रूप से उपलब्ध कराया गया है। '*भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम*' के माध्यम से उन्हें अनेक आवास संबंधी सुविधाएं प्रदान की गयी। '*राष्ट्रीय न्यास अधिनियम*' के माध्यम से सभी को वृहद क्षेत्र में समान अवसर देने की बात की गई है। *मीरा कुमारी* ने '*राष्ट्रीय विकलांग जन नीति*' 2006 में लागू की जो अब '*राष्ट्रीय दिव्यांग जन नीति*' के नाम से भी जानी जाती है। जिसका उद्देश्य अनेक प्रकार की पुनर्वास संबंधी, दिव्यांगता की रोकथाम के उपाय संबंधी एवं दिव्यांगों को शिक्षण संबंधी अनेक सुविधाएं प्रदान करवाना था, जिससे समाज में दिव्यांग वर्ग भी सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। दिव्यांग वर्ग की शिक्षा में आज गुणवत्ता, सृजनात्मकता, निर्माणवादिता, नवाचारिता एवं मूल्यांकन संबंधी अनेक अभाव देखे जा रहे हैं, जो उन्हें सामान्य वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने में बाधा पहुंचा रहे हैं। सरकार द्वारा इस वर्ग के विकास के लिए अनेक नीतियाँ एवं कार्यक्रम संचालित करने पर भी इनके विकास पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अनेक शोधकर्ताओं ने दिव्यांग वर्ग विशेषत: दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा पर अनेक शोध कार्य किए हैं।

'मौर्य (2006)' ने सामान्य एवं दृष्टिबाधित छात्रों की चिंता, समायोजन, नियंत्रण बिन्दु पथ के अध्ययन में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समायोजन एवं चिंता स्तर को उच्चतर बताया। **'कसिकटस (2009)'** ने बाल्यावस्था में दृष्टिहीन

विद्यार्थियों के समक्ष विशिष्ट शिक्षा संबंधी समस्याएँ और समाधान का अध्ययन किया। **'बिशप एवं रींड (2011)'** ने यू. पी. के उच्च शिक्षा संस्थानों में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बाधाएँ एवं समर्थन विषय का अध्ययन किया। **'अजेवदो एवं सेंटोस (2014)**' ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रकाशिकी शिक्षण में केस अध्ययन के दौरान यह पाया कि करपलस द्वारा प्रस्तावित सीखने के क्षेत्र को छात्र केन्द्रित शिक्षा पद्धति में अपनाया गया हैं। **'मंसूरी एवं त्यागी (2015)'** ने हाईस्कूल स्तर के दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी आदतों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आदतों का स्तर उच्च पाया। **'युओनो, कामिल एवं वमाउगो (2017)'** ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन किया जिसमें सीखने की प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ पायी गयी। **'एलिगी एवं मावनतिमवा (2017)'** ने तंजानिया के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया। **'जैन एवं यादव (2017)'** ने उच्च माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका पर चर्चा की जिसके अनुसार सागर नगर के उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति सामान्य पायी गई। **'शुक्ला (2017)'** ने दिव्यांग एवं सामान्य किशोर-किशोरियों के आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि सामान्य किशोर-किशोरियों की तुलना में दिव्यांग किशोर-किशोरियों के आत्मविश्वास का स्तर निम्न है। **'असमोह, दुआ एवं कुडीओ (2018)'** ने घाना के शिक्षकों की दिव्यांग छात्रों और दृष्टिबाधित छात्रों के प्रति धारणा के अध्ययन में यह पाया कि घाना के शिक्षकों को दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। **'एरडोगन एवं सुवरेन (2018)'** ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों में बुनियादी आसन कौशल के प्रभाव का अध्ययन किया। **'जेमरिच वं ब्रिक'** ने दिव्यांग किशोरों के सीखने की प्रक्रिया में पाठ्य-सामग्री के महत्व की चर्चा की और पाया कि किशोरों

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

के सीखने की प्रक्रिया में साहसिक हास्य एवं प्रेम, जनसंचार-रेडियो की अपेक्षा अधिक आकर्षित तत्व है ।

उपरोक्त निष्कर्षों एवं परिणामों के आधार पर यह पाया गया कि दिव्यांग वर्ग में दृष्टिबाधित समूह पर अब तक जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनमें इतिहास शिक्षण संबंधी नवाचार पद्धति पर मेरी जानकारी में कोई भी शोधकार्य प्राप्त नहीं हुआ जो एक शोध रिक्तता को प्रदर्शित करता है अत: शोधार्थी द्वारा इसकी जांच करने के उपरांत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में नवाचार संबंधी विषय को अपने शोध कार्य की समस्या के लिए विशेषज्ञों एवं पर्यवेक्षकों के परामर्श से चुना गया ।

समस्या कथन

माध्यमिक विद्यालयी स्तर पर इतिहास शिक्षण अधिगम के विशेष संदर्भ में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा में नवाचार ।

शोध प्रश्न

1) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में कौन-कौन सी सामान्य शिक्षण विधियाँ पायी जाती है ?
2) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में स्पर्श मॉडल किस प्रकार नवाचार के रूप में अपनी भूमिका को प्रस्तुत करता है ?
3) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में किन-किन नवाचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता हैं ?

शोध उद्देश्य

1) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त सामान्य शिक्षण विधियों का अध्ययन करना ।
2) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में स्पर्श मॉडल का नवाचार के रूप में अध्ययन करना ।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

3) दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त नवाचार माध्यमों के विद्यालय में प्रयोग का अध्ययन करना।

शोध सीमांकन

- प्रस्तुत शोधकार्य केवल दिल्ली के दृष्टिबाधित विद्यालयों तक सीमित है।
- प्रस्तुत शोधकार्य शोधार्थी द्वारा दिल्ली में स्थापित यादृच्छिक विधि से चयनित केवल चार दृष्टिबाधित विद्यालयों तक सीमित है।
- प्रस्तुत शोध कार्य में केवल इतिहास शिक्षण अधिगम के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध क्षेत्र

प्रस्तुत शोध में दिल्ली के चार दृष्टिबाधित विद्यालयों का चयन किया गया जिसका विवरण तालिका क्र. 2 में दिया गया है –

तालिका क्र. 2: दृष्टिबाधित विद्यालयों का विवरण

क्र.	विद्यालय का नाम एवं क्षेत्र	कक्षा	शिक्षकों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	दृष्टिबाधित राष्ट्रीय संघ: आर.के.पुरम, दिल्ली	6 7 8	2	12
2	दृष्टिबाधित राहत विद्यालय: बी.आर.ए. लोधी रोड, दिल्ली	6 7 8	1	13
3	दृष्टिबाधित महाविद्यालय, पंचकुइयां, करोल बाग, दिल्ली	6 7 8	1	17
4	दृष्टिबाधित पुरुष विद्यालय: सेवा कुटीर, कैंप, दिल्ली	6 7 8	1	22
विद्यार्थियों की कुल संख्या				64

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शोध में प्रयोग किए गए साध

प्रस्तुत लघु शोध कार्य में मानकीकृत उपकरण उपलब्ध न होने की स्थिति में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची एवं स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत लेख में शोध उद्देश्यों के अनुसार निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करते हुए आंकड़ों का संकलन किया गया।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा गुणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। गुणात्मक सर्वेक्षण विधि शोध की वह विधि है जिसमें एक कम संरचित शोध विधि के माध्यम से व्यक्तियों के मतों, विचारों तथा घटनाओं की वर्तमान स्थिति तथा उनमें छिपे हुए कारणों एवं अभिप्रेरणाओं का गहन रूप से अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य किसी विषय, समस्या या घटना की गहरी समझ विकसित करने हेतु लोगों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का वर्णन करना है, जिसमें दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की इतिहास शिक्षण अधिगम विषय से संबन्धित नवाचार के अध्ययन हेतु प्रतिभागियों से विस्तृत सूचनाएँ प्राप्त की गई तथा साथ ही साथ शोधार्थी द्वारा विद्यालय अवलोकन के माध्यम से शोध की सर्वेक्षण विधि को गुणात्मक रूप प्रदान किया गया।

प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध कार्य में '*दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इतिहास शिक्षण अधिगम में नवाचार का अध्ययन*' की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा चयनित विद्यालयों में गुणात्मक आंकड़ों का संग्रहण किया गया। आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात स्वनिर्मित प्रश्नावली से प्राप्त प्रत्युत्तरों का विश्लेषण कर प्रसंगों का विकास किया गया जो माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इतिहास शिक्षण अधिगम में नवाचार माध्यमों का एक स्पष्ट परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक प्रश्न को शीर्षक के अनुसार विश्लेषित किया गया।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

विश्लेषण

प्रस्तुत शोध विश्लेषण में उपरोक्त बनाए गए शोध उद्देश्यों के आधार पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा में निहित नवाचारी स्तर के अध्ययन का विश्लेषण किया गया । जिसमें शोध उद्देश्य क्रमांक 1 में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त सामान्य शिक्षण विधियों का अध्ययन किया गया ।

इतिहास शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की सामान्य शिक्षण विधियाँ

इतिहास शिक्षण विषय बहुत ही वृहद विषय हैं जिसके अध्यापन की गुणवत्ता एवं परिपक्वता को बनाए रखने के लिए अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है । इन विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, ब्रेल विधि, प्रक्रिया विधि, व्याख्यान विधि आदि प्रमुख हैं जिसके अंतर्गत प्रकरण की समझ विकसित करने एवं प्रकरण को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निहित है । इन सभी विधियों का शिक्षक द्वारा कक्षा में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है जिसके लिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु शिक्षकों को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है ।

प्रतिभागियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर यह कह सकते हैं कि – *"शिक्षकों द्वारा इतिहास शिक्षण का परंपरागत विधियों के प्रयोग से अध्यापन कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत अधिकतर प्रयोग होने वाली विधियों में व्याख्यान विधि, पुनरावृत्ति विधि, पठन-पाठन विधि, घटनोत्तर शिक्षण विधि, कहानी विधि प्रमुख हैं, जिनके द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अध्यापन कराया जाता हैं"।* शिक्षकों द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अंतर्गत निहित कौशलों का क्रियान्वयन किया जा रहा है । दृष्टिबाधित विद्यालय द्वितीय की शिक्षिका प्रतिभागी ने बताया कि – *"सामान्य शिक्षण विधियों में प्रयुक्त प्रश्नोतर विधि एवं संवाद विधि के प्रयोग से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है"।*

चार्ट क्र. 2: इतिहास शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की सामान्य शिक्षण विधियाँ

शिक्षकों द्वारा सहायक सामग्री के प्रयोग में भी समस्याएँ दृष्टिगोचर हुई जिसकी वजह से विद्यार्थियों को सीखने में समस्याएँ आ रही है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दृष्टिबाधित विद्यालयों के शिक्षक इतिहास शिक्षण को बहुपयोगी एवं गुणवत्तापरक बनाने के लिए जागरूक एवं प्रयासरत होने चाहिए क्योंकि प्रशिक्षित संस्थान से शिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षकों द्वारा कुशलतापूर्वक अध्यापन कार्य करना अपेक्षित है, जिसके कुशल प्रयोग हेतु शिक्षकों को उचित परामर्श एवं निर्देशन में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ।

इतिहास शिक्षण में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली नवाचारी शिक्षण विधियों में - योजना विधि, केस अध्ययन विधि, क्षेत्र कार्य विधि, परिचर्चा-पैनल परिचर्चा विधि, परियोजना कार्य विधि, प्रदर्शन विधि, यात्रा वृतांत विधि, रचनात्मक शिक्षण विधि, निरीक्षण विधि, सृजनशील शिक्षण विधि आदि प्रमुख हैं जिनके निरंतर प्रयोग से न केवल शिक्षण अधिगम में नवीनता लायी जा सकती हैं बल्कि विद्यार्थियों की सोच को विकसित करने में भी एक नयी दृष्टि का सूत्रपात किया जा सकता हैं । प्रतिभागियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर पाया गया कि -"*समस्त चयनित दृष्टिबाधित विद्यालयों में इतिहास शिक्षण के अध्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा प्रयोग विधि, समूह चर्चा विधि, खेल विधि, नाटक विधि, अभ्यास विधि, गतिविधि*

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आधारित शिक्षण विधि, कहानी विधि, उदाहरण विधि, के प्रयोग से शिक्षण कार्य में नवीनता लायी जा सकती हैं"। दृष्टिबाधित विद्यालय द्वितीय की शिक्षिका प्रतिभागी ने बताया कि-*"अभ्यास विधि एवं प्रायोगिक विधि के नियमित प्रयोग से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के शिक्षण को व्यवस्थित, क्रियान्वित, सृजनशील एवं दृष्टिगोचर बनाया जा सकता हैं"।*

ार्ट क्र. 3: इतिहास शिक्षण अधिगम के अध्ययन अध्यापन हेतु प्रयुक्त हो

वाली विभिन्न प्रकार की नवाचारी शिक्षण विधियाँ

विद्यालयवार प्रतिभागियों ने बताया कि इतिहास शिक्षण को प्रभावशाली, गुणवत्तापरक एवं उपयोगी बनाने में नवाचारी विधियों में मुख्य रूप से प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि एवं अभ्यास विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए जबकि इन नवाचारी विधियों का प्रयोग विद्यालय में सबसे कम देखने को मिलता है ।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में स्पर्श मॉडल का नवाचार के रूप में अध्ययन

स्पर्श मॉडल का अधिकतर प्रयोग इतिहास एवं भूगोल शिक्षण की स्पष्टता को सिद्ध करने हेतु किया जाता है। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, मकबरे, लकड़ी के हल, पाषाणीय औज़ार आदि का सूक्ष्म ढांचा ठोस सामग्री से निर्मित कर स्पर्श मॉडल बनाया जाता है । प्रतिभागियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर यह कह सकते

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हैं कि "समस्त चयनित विद्यालयों में से दो विद्यालयों में स्पर्श मॉडल का प्रयोग कुछ हद तक देखने को मिलता हैं", जबकि एक विद्यालय के शिक्षक प्रतिभागी ने यह बताया कि – *"हमारे विद्यालय में बहुत कम स्पर्श मॉडल का प्रयोग कर शिक्षण कार्य कराया जाता हैं"।* दृष्टिबाधित विद्यालय चतुर्थ के शिक्षक प्रतिभागी ने बताया कि – *"हमारे द्वारा अध्यापन कार्य हेतु स्पर्श मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि हमारा विद्यालय आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है"।*

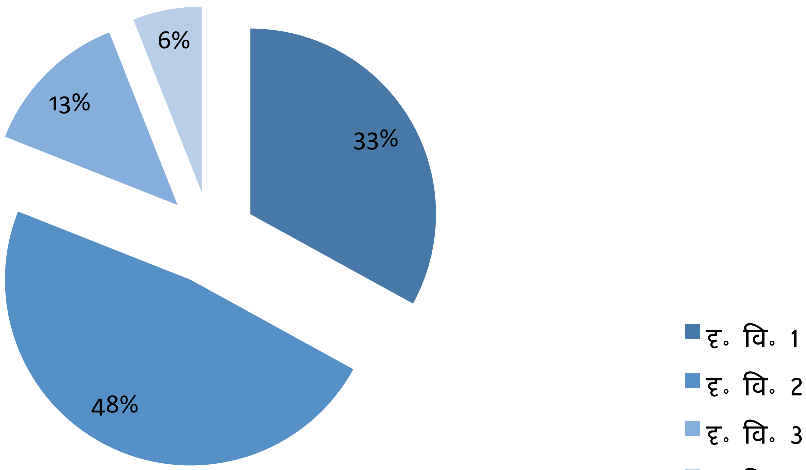

चार्ट क्र. 4: विद्यालयवार स्पर्श मॉडल का प्रयोग एवं उपलब्धता

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त होने वाली नवाचारी शिक्षण विधियों का अध्ययन

इतिहास विषय विज्ञान एवं गणित विषय की भांति अपने आप में तर्कसंगत एवं पुष्टिसंगत नहीं है । अधिकतर शिक्षाविदों की यह धारणा हैं कि इतिहास विषय केवल सूचनाओं, तथ्यों एवं आंकड़ों से परिपूर्ण है किन्तु नवीन शोध एवं अविष्कारों के द्वारा नवाचारी पद्धति को विकसित करने हेतु शिक्षक, शिक्षण सहायक सामग्री एवं प्रायोगिक तरीके बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माने गए हैं जिसके द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को स्थापित किया जा सकता है । किसी भी विषय को सृजनात्मक पद्धति से विकसित करने का माध्यम नवाचारिता है । सृजनात्मकता एवं निर्माणवादी

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

दृष्टिकोण द्वारा हम विद्यार्थियों के लिए दिशानिर्देशन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कक्षा में नवाचार के प्रयोग से विद्यार्थियों की एकाग्रता भी बढ़ जाती है, इसीलिए परंपरागत विधियों की अपेक्षा नवाचारी विधियाँ अधिक उपयोगी एवं क्रियाशील मानी जाती है तथा गुणवत्ता व प्रायोगिकता के स्तर पर उनका आकलन भी किया जाता है।

कंप्यूटर

कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण हैं जो कम समय में किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता हैं इसके द्वारा आंकड़ों को विश्लेषित करना, आंकड़ों को सुनियोजित करना, किसी भी प्रकरण की जानकारी एकत्रित करना, किसी भी कार्य में नवीनता एवं सृजनात्मकता लाना आसान हुआ हैं। कंप्यूटर से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए लिखना, पढ़ना एवं समझना बहुत ही सरल हो गया हैं किन्तु विद्यालय अवलोकन के पश्चात पाया गया कि विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार कम्प्युटर की सुविधा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। प्रतिभागियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार यह पाया गया कि*"चयनित तीन दृष्टिबाधित विद्यालयों में तो लगभग कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हैं"* किन्तु दृष्टिबाधित विद्यालय चतुर्थ के शिक्षक प्रतिभागी ने बताया कि- *"हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं"।*

ब्रेल प्रिन्टर

लुई ब्रेल ने सर्वप्रथम ब्रेल लिपि का अविष्कार किया था जिसमें छह "⠿"

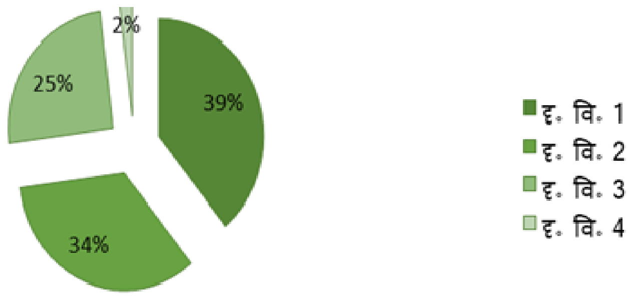

चार्ट क्र. 5: विद्यालयवार कम्प्युटर का प्रयोग एवं उपलब्धता

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

बिन्दुओं को मिलाकर अक्षर को लिखा जाता था I जिसे लिखना जितना कठिन होता था, उसे संरक्षित करना भी उतना ही कठिन था I इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान समय में शिक्षण प्रणाली को सूत्रित करने हेतु ब्रेल प्रिन्टर का अविष्कार किया गया जिसके माध्यम से अब ब्रेल लिपि में लिखा हुआ साहित्य अब ब्रेल प्रिन्टर की सहायता से संरक्षित करके रखा जाने लगा इससे एन.सी.ई.आर.टी. की इतिहास शिक्षण अधिगम की पुस्तकें भी आसानी से उपलब्ध होने लगीं I प्रतिभागियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर यह पाया गया कि- *“समस्त चयनित विद्यालयों में से दो विद्यालयों में ब्रेल प्रिन्टर उपलब्ध हैं किन्तु अन्य दो विद्यालयों में ब्रेल प्रिन्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है”।*

ब्रेल प्रिन्टर

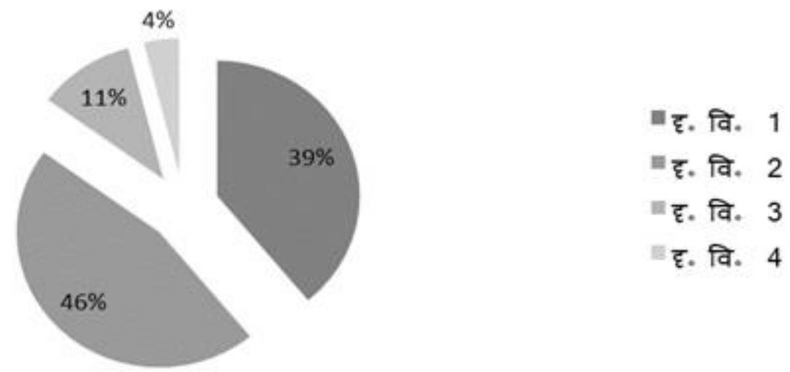

चार्ट क्र. 6: विद्यालयवार कम्प्युटर का प्रयोग एवं उपलब्धता

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता हैं कि माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इतिहास शिक्षण अधिगम में नवाचारी विधियों का प्रयोग बहुत ही निम्न स्तर से किया जा रहा हैं जिससे दृष्टिबाधित विद्यार्थी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहें हैं। प्रतिभागियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर यह बताया जा सकता हैं कि विद्यालय में नवाचारी विधियों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता हैं जो यह प्रदर्शित करता हैं कि इतिहास शिक्षण अधिगम में नवाचारी विधियों का प्रयोग इसे ओर अधिक प्रासंगिक बनाता हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन *'दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में नवाचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन'* हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली एवं कक्षा अवलोकन का प्रयोग कर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता हैं कि परंपरागत शिक्षण विधियों के रूप में व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि आदि विधियों का प्रयोग चयनित दृष्टिबाधित विद्यालयों में सर्वाधिक रूप से किया जाता हैं, जबकि समस्या समाधान विधि, प्रयोग विधि एवं निरीक्षण विधि आदि विधियों का प्रयोग बहुत कम स्तर पर किया जा रहा हैं। शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह परिलक्षित होता हैं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु इतिहास शिक्षण अधिगम में प्रयोग की जाने वाली नवाचारी शिक्षण विधियों में खेल विधि, नाटक विधि, प्रयोग विधि, समूह चर्चा विधि, योजना विधि आदि विधियों का प्रयोग प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बहुत कम स्तर पर किया जा रहा हैं। अत: शोध कार्य के निष्कर्ष के रूप में यह परिलक्षित होता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम में प्रयोग होने वाली मुख्य विधियों में प्रमुख रूप से पुनरावृत्ति विधि, पठन-पाठन विधि, कहानी विधि एवं व्याख्यान विधि आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चयनित विद्यालयों में दृष्टिबाधित विद्यालयों की शिक्षा को गुणवत्तापरक एवं सुनियोजितता प्रदान करने हेतु प्रश्नोत्तर विधि, ब्रेल विधि एवं समस्या समाधान विधि का प्रयोग एवं क्रियान्वयन भी किया जा रहा है जो कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के इतिहास शिक्षण अधिगम को अधिक सार्थकता प्रदान करता है

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संदर्भ ग्रंथ सूची

Asamoah. E, Dua. K.O, Cudjoe. E, Abdullah & Nyarko. J.A., Inclusive Education: perception of visually impaired students, students without disabilities and teachers in Ghana: Sage Open, October-December 2018: I-II, DOI: 10.1177/2158244018807791.

Ceren Suveren, Teaching of Basic Posture Skills in Visually Impaired Individuals and Its Implementation under aggravated Conditions., March 2008, ISSN 1927-5250, Journal of Education and learning; Vol 7, No. 3; 2018, Canadian center of Science and Education, Gazi University, Turky.

Daniel Bishop, Daniel JA Rhind, Barriers and enablers for visually impaired students at a UK Higher Education Institution, British Journal of Visual Impairment 29 (3), 177-195, 2011.

A Dolunay Kesiktas, early childhood special education for children with visual impairments: Problems and Solutions, Educational Sciences: Theory and Practice 9 (2), 823-832, 2009.

Kelefa Mwantimwa, ICT Accessibility and usability to support learning of visually-impaired students in Tanzania, University of Dar es Salaam, Tanzania, International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 2017, Vol 13, Issues 2, PP. 87-102.

William G. Brink and John X. Jamrich, Teaching Materials, Pennsylvania State University, March 2016, Review of Educational Research, Vol. XXI, No.3.

A C Azevedo and A C F Santos, Teaching optics to blind pupils, IOP Publishing Ltd.

Advani, L. (2002). "Education: A Fundamental Right of Every Child Regardelss of His/Her Special Needs", Journal of Indian Education; Issue on Education of Learners with Special Needs. New Delhi: NCERT.

Alur, M. (2002). "Special Needs Policy in India", in S. Hegarty and M. Alue (eds), Education and Children with Special Needs: From Segregation to Inclusion. New Delhi: Sage.

Luthra, P.N. (1974). "role of the Department of Social Welfare in the Rehabilitation of the Handicapped", Journal of Rehabilitation in Asia, 15: 9-19.

NCERT (2000). National Curriculum Framework for School Education (NCFSE). New Delhi: NCERT.

Margaret C. Wang, Maynard C. Reynolds, and Herbert J. Walberg (1986): Rethinking Special Education: Education leadership 44 (1), 26-31.

संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, 9 दिसंबर 1975.

सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र, 1990 में जोमेटिन (थाईलैंड).

सलामां का स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्य योजना, 1994.

बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, 22 मई 2002.

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित रखने वाला दस्तावेज *(UNCRPD)*, संयुक्त राष्ट्र संघ, 13 दिसम्बर 2006.

संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 14.

संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 15.

संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 41.

संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 45.

संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 211.

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (आर. सी. आई. अधिनियम), 22 जून 1993.

दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995, 7 फरवरी 1996.

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999.

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 13 जनवरी 2006.

शिक्षा का अधिकार अधिनयम, 2009.

चंद्रकांता जैन एवं अखिलेश यादव, उच्च माध्यमिक स्तर पर विकलांग छात्रों की शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति, 2017 अंक 2., वर्ष 24 परिप्रेक्ष्य ।

जैन, (2013): माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत दृष्टिबाधित बालकों एवं बालिकाओं की बुद्धि, शैक्षिक रुचि एवं समायोजन.

डॉ. रमा त्यागी एवं इम्तियाज़ मंसूरी, (2015): "मध्य प्रदेश के हाई स्कूल स्तर के दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि, बुद्धि व समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन", जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

प्रो. एस. पी. गुप्ता एवं डॉ. अलका गुप्ता, (2018): आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद – 211002, *ISBN: 978-93-82778-99-8.*

संजीव के. (2008): विशिष्ट शिक्षा, जानकी प्रकाशन, पटना.

डॉ. आर. ए. शर्मा, (2017): विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप (मुख्यधारा एवं समन्वित शिक्षा), विनय रखेजा, *C/o.* आर. लाल बुक डिपो, निकट गवरमेंट इंटर कॉलेज, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ – 250001, *ISBN: 978-93-81466-61-2.*

34. अरुण कुमार सिंह, *(2017):* मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास, आर. पी. जैन के द्वारा एन. ए. बी. प्रिंटिंग यूनिट, ए-*44*, नारायणा, फेज-*1*, नई दिल्ली *110028* में मुद्रित, *41* यू. ए. बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली – *110007*, *ISBN: 978-81-208-2410-2.*